

एएमयू के कुलपति के खिलाफ रिपोर्ट जल्द देने के लिए दबाव बनाएंगे सिब्बल

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 19 फरवरी। अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के कुलपति पीके अब्दुल अजीस के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोपों पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील के जांच के आदेश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द रिपोर्ट देने के लिए दबाव बनाएंगा। अजीस की शैक्षणिक योग्यता, शोध कार्यों और प्रकाशन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि अजीस की ओर से जांच में रोड़े अटकाने से रिपोर्ट आने में देरी हो रही है।

एएमयू कोर्ट सदस्य वसिम अहमद ने शनिवार को मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की। उनसे इस मामले पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने अजीस पर जांच में रोड़े अटकाने के भी आरोप लगाए। बैठक के बाद अहमद ने कहा- मैंने मंत्री को कहा कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील की ओर से पिछले साल फरवरी में नियुक्त की

गई समिति को दो महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन अजीस की टालमटोल की रणनीति के कारण आज तक रिपोर्ट नहीं पेश की गई। उन्होंने (सिब्बल) कहा कि वह रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए बात करेंगे।

नई दिल्ली में सेवानिवृत्त दो न्यायाधीश अजीस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और दो दिन की प्रक्रिया रविवार को खत्म होगी। लेकिन इस मामले पर राष्ट्रपति की ओर से बनने वाली यह पहली उच्च स्तरीय समिति नहीं है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और कोर्ट के आठ सदस्यों से शिकायत मिलने के बाद उन्होंने अजीस के खिलाफ 28 जुलाई 2009 को भी जांच के आदेश दिए थे।

समिति के सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश फखरुद्दीन, पूर्व नागरिक उद्युग्म सचिव एएच जंग और अजीस के वकीलों में मतभेद के कारण मामले का निदान नहीं निकल पाया था। एएमयू के प्रवक्ता राहत अबरार ने आरोपों को

निराधार बताया है। उन्होंने कहा- यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि हम जांच में देरी करने के प्रयास कर रहे हैं। कुलपति ने जांच प्रक्रियाओं में पूरे सहयोग के लिए विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किए हैं। अजीस (64) को 11 जून 2007 को एएमयू का कुलपति नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 18 जनवरी 2012 को खत्म होगा।

एएमयू टीचर्स एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कुलपति समेत संस्थान के कई उच्चाधिकारियों पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच में जानबूझकर देर करवाने के हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के सचिव जमशेद सिद्दीक ने कहा कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने 2009 में कुलपति के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे मगर तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर इस जांच में देर करवाने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने बाकी पेज 8 पर